54 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 54/2018(RCMS : 2018/00133) भंवरलाल पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी वार्ड नं 39, गली नं. 2, पानी वाली टंकी, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार (राजस्व), रावला

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

20.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी भंवर लाल स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार(राजस्व), रावला के प्रतिनिधि अथवा स्वयं उपस्थित नही।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार (राजस्व), रावला से चाही गई सूचनाएं उसे निर्धारित समय में उपलब्ध नहीं करवाने के कारण, उसके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। उसने अपील पत्र में यह भी प्रार्थना की है कि उसे वांछित तमाम सूचनाएं दिलाई जावे एवं अप्रार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी भंवरलाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार(राजस्व), रावला से निम्न सूचना चाही थीः–

> दिनांक 20.04.2018 को बैयनामा कृषि भूमि 6 पी एस डी के मुरब्बा नम्बर 02 पत्थर नम्बर 153/14 के किला नम्बर 6, 14, 15 ता 17, 18, 20, 22, 23 ता 25 में से 0.506 है. कमाण्ड रकबा खरीदशुदा है। जिसका इंतकाल करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। इन्तकाल के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

ज्ञा.

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

54/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है :

धारा 7 अनुरोध का निपटारा :

(1) धारा 5 की उप धारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

54 जिला कलैक्टर
2018 श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार(राजस्व), रावला को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अगर देय है तो नियमानुसार 10 दिवस में उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार (राजस्व), रावला को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर